सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 365 राँची, गुरुवार, 11 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

1 जून, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

27 सितम्बर, 2016

विषय:- खरीफ विपणन मौसम में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या:- खा.प्र. 02 अधि. 01/2016 - 3846-- राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गई है । विगत् वर्षो की कठिनाईयों को देखते हुए अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए इस योजना में अपेक्षित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

2. भारत सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है । राज्य के किसानों से इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु भारतीय खाद्य निगम, पैक्स

(Primary Agriculture Credit Co-operative Societies)/ लैम्पस (Large Area Multi Purpose Co-operative Societies) /कृषक सेवा सहकारी समिति/व्यापार मंडल/ग्रेन गोला इत्यादि अधिप्राप्ति केन्द्र होंगे ।

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नोडल अभिकरण होंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

3. विभागीय संकल्प संख्या 7207, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम को राज्य के चिन्हित जिलों में अधिप्राप्ति एजेन्सी नामित किया गया है ।

4. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग का पत्रांक L 15019/4/2011-MPS दिनांक 27 जून, 2013 तथा दिनांक 28 जुलाई, 2016 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय ज्ञापांक 3133, दिनांक 10 अगस्त, 2016 के आलोक में National Federation of Farmers's Procurement, Processing & Retailing Cooperatives of India, Ltd. (NACOF) को धान अधिप्राप्ति हेतु नामित करने का निर्णय लिया गया है ।

इस संबंध में राज्य सरकार को राशि की व्यवस्था नहीं करनी होगी । NACOF द्वारा अपने साख के आधार पर धान क्रय किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त धान अधिप्राप्ति हेतु National Federation of Farmer's Procurement, Processing & Retailing Cooperatives of India Ltd (NACOF) को अतिरिक्त अधिप्राप्ति एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है तथा प्राईवेट प्लेयर्स को निविदा के माध्यम से अधिप्राप्ति एजेंसी के रूप में चयन किया जायेगा ।

5. अधिप्राप्ति एजेन्सियों के धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा । केन्द्रों के चयन में पूर्व में किए गए अधिप्राप्ति, अन्य कार्य की उपलब्धि व क्रियाशीलता एवं उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखा जाएगा ।

प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में आवश्यकतानुसार अधिप्राप्ति केन्द्र खोले जायेंगे । भारतीय खाद्य निगम, Private players एवं NACOF द्वारा प्रखण्ड/पंचायत/ग्राम स्तर पर अधिप्राप्ति केन्द्र खोले जा सकते हैं ।

निबंधक सहयोग समितियाँ द्वारा आवश्यकतानुसार लैम्पस/पैक्स की सूची प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड को उपलब्ध करायी जायेगी । लैम्पस/पैक्स से धान का उठाव 15 दिनों के अंदर कर लिया जायेगा । विलम्ब होने पर लैम्पस/पैक्स को क्षतिपूर्ति/भंडारण शुल्क दी

जायेगी। नोडल अभिकरणों द्वारा देय कमीशन की राशि भारतीय खाद्य निगम से विपत्र भुगतान प्राप्त करने के बाद अधिप्राप्ति एजेन्सी को दी जायेगी ।

निबंधक सहयोग समितियाँ द्वारा लैम्पस/पैक्स को नमीमापक यंत्र एवं विश्लेषण कीट उपलब्ध कराया जायेगा । अधिप्राप्ति में संलग्न एजेंसी एवं कर्मियों को भारतीय खाद्य निगम एवं गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, भारत सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

6. खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य के पलामू, दक्षिणी छोटानापुर एवं कोल्हान प्रमंडल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वयं अथवा प्राईवेट प्लेयर्स के सहयोग से किया जायेगा । संथाल परगना प्रमण्डल में अधिप्राप्ति हेतु NACOF को नामित किया गया है । नोडल अभिकरण द्वारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल (रामगढ़ जिला को छोड़कर) में भारतीय खाद्य निगम के निर्धारित दर की अधिसीमा के अंदर प्राईवेट प्लेयर्स का चयन निविदा के माध्यम से किया जायेगा । रामगढ़ जिला में अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्वयं किया जायेगा ।

7. नोडल अभिकरण द्वारा प्राईवेट प्लेयर्स के चयन में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा निर्धारित नीति एवं निविदा दस्तावेज को अपनाकर अपेक्षित संशोधनोंपरान्त् निविदा प्रकाशित किया जायेगा ।

8. रामगढ़ जिले में पायलट वेसिस पर Decentralized Procurement System (DCP) लागू किया जायेगा, जिससे कि आगामी वर्षों में झारखण्ड को DCP राज्य बनाने की दिशा में कार्रवाई की जा सके ।

रामगढ़ जिला में परिवहन का सम्पूर्ण कार्य (लैम्पस/पैक्स से मिल एवं मिल से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक) मिलर द्वारा किया जायेगा । मिलर को निर्धारित परिवहन शुल्क देय होगा ।

रामगढ़ जिला में इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा मिल में तैयार सी॰एम॰आर॰ के आधार पर ससमय निर्गत किया जाएगा । इस कार्य में विलम्ब के लिए जिला प्रबंधक पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी ।

9. सभी अधिप्राप्ति एजेन्सियों को विभाग से समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

10. धान अधिप्राप्ति योजना की अनुश्रवण की सारी जिम्मेदारी नोडल अभिकरण की होगी। अधिप्राप्ति के पूर्व से ही नोडल अभिकरण द्वारा तैयारी शुरू कर दी जायेगी एवं अधिप्राप्ति अवधि के दौरान सत्त अनुश्रवण करनी होगी । इसके अतिरिक्त सुचारू पर्यवेक्षण के निमित धान अधिप्राप्ति हेतु विकसित किये जा रहे कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से ही की जायेगी ।

. अनुश्रवण हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर धान अधिप्राप्ति योजना अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है: -

<u>राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

विकास आयुक्त	- अध्यक्ष
सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	- सदस्य
सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य
निबंधक, सहयोग समितियाँ	- सदस्य
विशेष सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	- सदस्य सचिव
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- सदस्य
प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०	- सदस्य

यह समिति सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी ।

<u>जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

उपायुक्त	- अध्यक्ष
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	- सदस्य
जिला सहकारिता पदाधिकारी	- सदस्य
जिला कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- सदस्य
जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०	- सदस्य सचिव
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	- सदस्य
क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	- सदस्य

इस समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो का अनुश्रवण किया जाएगाः-

(i) धान उत्पादक किसानों का पंजीकरण
(ii) धान अधिप्राप्ति केन्द्र का चयन
(iii) केन्द्रवार न्यूनतम लक्ष्य का निर्धारण
(iv) किसानों से धान क्रय एवं भुगतान
(v) बोरा की व्यवस्था
(vi) अस्थायी संग्रहण केन्द्र का संचालन
(vii) केन्द्र का अस्थायी संग्रहण केन्द्र/मिल के साथ सम्बद्वता
(viii) चावल मिल का निबंधन एवं अनुबंध
(ix) धान एवं चावल का परिवहन

(x) मिल में सी॰एम॰आर॰ की तैयारी एवं एफ॰सी॰आई॰ में आपूर्ति

(xi) विपत्र तैयारी, सम्प्रेषण एवं भुगतान प्राप्त कर संबंधितों को वितरित करना

(xii) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ।

<u>प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

प्रखंड विकास पदाधिकारी	- अध्यक्ष
प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	- सदस्य
प्रखंड कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
अध्यक्ष/संचालक एवं सहायक प्रबंधक सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्र	- सदस्य

इस समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो का अनुश्रवण किया जाएगा-

(i) धान अधिप्राप्ति योजना का व्यापाक प्रचार-प्रसार

(ii) धान उत्पादक किसानों का निबंधन

(iii) अधिप्राप्ति हेतु केन्द्र की तैयारी

(iv) किसानों से धान क्रय एवं भुगतान की व्यवस्था

(v) बोरा की व्यवस्था

(vi) क्रय धान का सुरक्षित भंडारण

(vii) धान का परिवहन

(viii) राशि की व्यवस्था

(ix) सफल संचालन हेतु अन्य कार्य जो प्रासंगिक हो ।

11. धान अधिप्राप्ति से संबंधित अन्य कार्य विभागीय संकल्प संख्या 7207, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के आलोक में होगी ।

12 उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19 सितम्बर, 2016 की बैठक की मद संख्या-31 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 365--100